आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 196 / 2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मैसर्स हीरो फिनकार्प लि० रजिस्टर्ड पता 34, बसन्त लोक, बसंत विहार, न्यू देहली ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

(1) मैसर्स पावर कार्पोरेशन द्वारा पार्टनर श्री विजय उप्पल
पता(1)– 306, सिटी सेन्टर, संसार चन्द्र रोड, जयपुर एवं
(2)–.21 तीर्थ नगर, सोडाला,न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

(2) श्री विजय उप्पल पार्टनर मैसर्स पावर कार्पोरेशन
पता– 21, तीर्थ नगर, सोडाला, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

(3) श्री सुभम चौधरी पार्टनर मैसर्स पावर कार्पोरेशन
पता–बी–19, केन्द्रीय विहार, सैक्टर नं० 6, विद्याधर नगर, जयपुर।

(4) श्रीमती सरला चौधरी
पता–बी–19, केन्द्रीय विहार सैक्टर नं० 6, विद्याधर नगर जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 24.02.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.07.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में (1) अप्रार्थी मैसर्स पावर कार्पोरेशन के स्वामित्व की सम्पत्ति भूमि एवं भवन प्लाट बी–233, मंगलम विहार सीकर रोड जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज (2) अप्रार्थी मैसर्स पावर कार्पोरेशन के स्वामित्व की सम्पत्ति भूमि एव भवन प्लाट बी–234, मंगलम विहार सीकर रोड जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज एवं (3) मैसर्स पावर कार्पोरेशन के स्वामित्व की सम्पत्ति भूमि एवं भवन बी–276 मंगलम विहार सीकर रोड जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल रूपये 89,38,500/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

3. प्रार्थी संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05 अगस्त 2016, कम संख्या 68 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान संस्था के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी को 89,38,500/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 79,44,990.67 रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.06.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में (1) अप्रार्थी मैसर्स पावर कार्पोरेशन के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति भूमि एवं भवन प्लाट नं. बी–233, मंगलम विहार सीकर रोड जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज, (2) अप्रार्थी मैसर्स पावर कार्पोरेशन के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति भूमि एवं भवन प्लाट नं. बी–234, मंगलम विहार सीकर रोड जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज एवं (3) अप्रार्थी मैसर्स पावर कार्पोरेशन के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति भूमि एवं भवन प्लाट नं. बी–276 मंगलम विहार सीकर रोड जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

8. आदेश आज दिनांक 24.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर